बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर]

सोमवार, तिथि 28 जनवरी, 1980 ई०।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42 49, 50, 51, एवं 56।	3—28
दैनिक निबन्ध।	29

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है, उनके नाम के पिछे (*) चिह्न लगा दिये गए हैं।

सड़क का निर्माण ।

41. **श्री मोहन सिंह**—क्या मंत्री, ग्राम अभियंत्रण संगठन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि पलामू जिला अन्तर्गत "काम के बदले भोजन" योजना कार्यक्रम के अधीन पाटन, पांकी, मनातु एवं लेसलीगंज प्रखंडों में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई थीं, उनमें कितने का कार्य पूरा हुआ और कितना अधूरा है तथा प्रत्येक सड़क पर कितना खर्च किया गया ?

श्री राम विलास सिंह—प्रश्नाधीन प्रखंडों में फूड फार वर्क योजना अन्तर्गत स्वीकृत पथों के कार्य सम्बन्धी सूचना निम्नांकित है—

पाटन प्रखंड—पड़वा मोर से पाटन भाया लाभो पतरामान बेदाकला नवाडीह उताहो दूल्हो निमिया कला होते हुए पथ 15 किलोमीटर है, 154 मेट्रीक टन गेहूँ दिया गया और 7197 रुपया नकद, काम अधूरा ।

मनातु प्रखंड–1. पदमा से चक भाया मनातु पथ 8 कि० मी० है, 30 मेट्रीक टन गेहूँ 7197 रुपया नकद और काम अधूरा ।

2. पाठक पगार से तरहसी भाष गुहां पथ ।

3. लेसलीगंज प्रखड-1. जगतपुरवा से नकासो पथ 3 किलोमीटर, 28 मेट्रीक टन गेहूँ, 1080 रुपया नकद और काम अधूरा ।

2. लेसलीगंज से चांदो भाया धनगांव पथ 5 कि० मी० 60 मेट्रीक टन गेहूँ 9900 रुपया नकद और काम अधूरा ।

पांकी प्रखंड-1: परसिया से आसेहार 6-50 कि० मी०, 68 मेट्रीक टन गेहूँ, 2595 रुपया नकद, काम पूरा ।

2. बुधवार से कोनवाई पथ 1-50 कि० मी० 14 मेट्रीक टन गेहूँ, 4852 रुपया नकद और काम पूरा ।

***श्री मोहन सिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि काम इनका जिस रफ्तार से चल रहा है, वह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री रामविलास सिंह—ऊपर वाले रोड में जो काम बाकी रह गया, वह बहुत कम बाकी रह गया है ।

अध्यक्ष—तब तो और भी अच्छा है कि बहुत कम बाकी रह गया । बाकी काम दस दिनों के अन्दर पूरा हो जाएगा ?

श्री राम विलास सिंह—यह तो गेहूँ के मिलने पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष—यह गेहूँ कहाँ से मिलेगा ?

श्री राम विलास सिंह—रिलिफ के काम में सब गेहूँ चला गया। पलामू को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। गेहूँ का आवंटन हो जाने के बाद तमाम सड़कों को पूरा कर दिया जाएगा।

श्री मोहन सिंह—मंत्री महोदय, जब से गद्दी पर बैठे हैं, हमारे यहाँ एक इंच भी मिट्टी नहीं डाली गयी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पलामू को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया तो कार्यपालक अभियंता को सामान्य स्थिति में क्या अधिकार है और अकाल की असमान्य स्थिति में क्या अधिकार दिया गया है ?

श्री राम विलास सिंह—समान्य स्थिति में उनको यह अधिकार है कि जो आर० ई० ओ० को गेहूँ मिलता है, उसे लें और उससे रोड के कार्य को पूरा करवायें, उसका नापी-जोखी करे, भेरीफीकेशन करे। इस समय जो अकाल की स्थिति है, इसमें आर० ई० ओ० को गेहूँ नहीं मिल रहा है। अभी अकाल का काम चल रहा है, जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा काम करवाते हैं, अगर आवश्यकता समझेंगे तो हमारे कार्यपालक अभियंता से मेजरमेंट करवा सकते हैं।

***श्री शिवपूजन सिंह**—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। व्यवस्था का सवाल यह है कि माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग को गेहूँ नहीं मिल रहा है। यह इसका रोना रो रहे हैं कि गेहूँ नहीं मिल रहा है। क्या हमलोग इनके विभाग को गेहूँ देंगे।

अध्यक्ष—आप तो सब कुछ दे सकते हैं। आप दीजिए या वहीं दीजिए लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शिवपूजन सिंह—यह सरकार का बिल्कुल अयोग्य उत्तर है कि गेहूँ नहीं मिल रहा है।

श्री मोहन सिंह—अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री पलामू जिला के इन्चार्य भी हैं। चार महीना हो गया जिन मजदूरों ने काम किया, 15 दिन, 20 दिन तक, उनकी मजदूरी आज तक बाकी है, यह कब तक बाकी रहेगा ? मंत्री महोदय, कह रहे हैं कि गेहूँ नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अकाल रोकने के इन्चार्य आप पलामू जिला के हैं, इन्होंने इस सम्बन्ध में कौन-सी कार्रवाई की है ?

अध्यक्ष—माननीय सदस्य अब आपसे दूसरे काम के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री मोहन सिंह—काम ग्रामीण अभियंत्रणा संगठन को ही सड़कों पर किया गया है आज से चार महीने पूर्व। बात करते हैं कि अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित है। इसके बावजूद मजदूरों की मजदूरी बाकी है। सरकार गेहूँ की आपूर्त्ति नहीं करती है। सरकार इस बात को मानती है कि बकाया मजदूरी के चलते मजदूर भूखों मर रहे हैं?

अध्यक्ष—मजदूरों का फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत काम कराने के बाद मजदूरी नहीं दी गयी हैं तो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार मानती है कि वे मजदूर भूखे मर रहे हैं; उनलोगों के कमाये हुए मजदूरी उन्हें नहीं मिली है?

श्री राम विलास सिंह—जितना शीघ्रातिशीघ्र होगा, हम उन्हें भुगतान करने का प्रयास करेंगे। अगर भुगतान नहीं होगा तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।

श्री मोहन सिंह—शीघ्रातिशीघ्र नहीं। सरकार असेम्बली में जो आश्वासन देती है उसे आश्वासन समिति कार्यान्वित कराती है। इसलिए माननीय मंत्री निश्चित तिथि बतायें कि कब तक बकाया मजदूरी, मजदूरों को दे देंगे।

श्री राम विलास सिंह—यह तो गेहूँ के आवंटन पर ही निर्भर करता है। मैं इतना आश्वासन अवश्य दूँगा कि जितना शीघ्रातिशीघ्र होगा हम भुगतान करा देंगे।

श्री मोहन सिंह—मैं जानना चाहता हूँ कि जब गेहूँ आपके पास नहीं था तो अपने मजदूरों से मजदूरी क्यों करवाया। मजदूर, मजदूरी बाकी रहने कारण भूखों मर रहे हैं।

श्री राम विलास सिंह—वहाँ पर कितना बाकी है, कितना आवंटन किया गया था, इसका पता लगाकर शीघ्र ही माननीय सदस्य को सूचना दे दूँगा।

श्री मोहन सिंह—अध्यक्ष महोदय, सवाल है कि योजना पूरी कब यह करेंगे इसके लिए कितनी गेहूँ की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी चार महीने पूर्व से मजदूर काम करके बैठे हुए और इस जिले में एक इंच घास तक पैदा नहीं हुआ है। माननीय मंत्री अकाल रोकने के लिए इनचार्ज बनाये गये हैं।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री, आप भुगतान करवा दीजिए।

श्री राम विलास सिंह—करवा देंगे।

अध्यक्ष—आप भुगतान करवा कर 15 दिनों में माननीय सदस्य को खबर कर देंगे।

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या पेमेंट आफ वेजेज एक्ट के अन्तर्गत आप स्थानीय एस० डी० ओ० को यह अधिकार दीजिएगा। हर जगह इसी तरह की स्थिति है। अगर आप स्थानीय एस० डी० ओ० को अधिकार दे दीजिएगा तो पेमेंट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा अधिकार सरकार देने जा रही है स्थानीय एस० डी० ओ०। अगर एक सप्ताह जिसने काम किया, अगले सप्ताह पेमेंट वहीं होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें।

श्री राम विलास सिंह—जरूर, ऐसा होगा।

स्कूल भवन का निर्माण एवं मरम्मत।

42. श्री मोहन सिंह—क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पाटन प्रखंड के दुल्ही मिड्ल स्कूल में मात्र दो ही कमरे हैं जिनका भवन जीर्णावस्था में है जिससे छात्रों को पढ़ने में असुविधा होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत तथा दो अतिरिक्त कमरे बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों ?

*श्री जर्नादन यादव—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) विद्यालय भवन की मरम्मती तथा दो अतिरिक्त कमरे बनाने के लिये विभागीय कनीय अभियन्ता को प्लान एवं स्टीमेट तैयार करवाया जा रहा है। उसकी प्राप्ति के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

श्री मोहन सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं